HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous 3rd Bail Application No. 8223/2026
CNR: RJHC020504682026 | URN: CRLMB / 15023U / 2026

1. Hansraj S/o Shri Mahendra Singh, R/o Kaysa, Police Station Neemrana, District Kotputli-Behror (Rajasthan) (Petitioner Is Presently Lodged In Central Jail, Alwar).
2. Vinod Kumar S/o Shri Mahendra Singh, R/o Kaysa, Police Station Neemrana, District Kotputli-Behror (Rajasthan) (Petitioner Is Presently Lodged In Central Jail, Alwar).

----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Suresh Kumar Saini, Adv. Mr. Monender Singh Solanki, Adv. Mr. R. M. Sharma, Adv.
For Respondent(s)	:	Ms. Manju Dave, PP Mr. Ashvin Garg, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

07/08/2026

प्रार्थी–अभियुक्तगण की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अन्तर्गत पुलिस थाना–नीमराणा, कोटपूतली–बहरोड़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–350/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 189(2), 351(3), 333, 303(2)बी.एन.एस. में पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्तगण का निवेदन है कि आहत सुमित्रा व रामस्वरूप के विचारण न्यायालय के समक्ष बयान लेखबद्ध हो चुके हैं, उनके किसी विशिष्ट कृत्य का उल्लेख साक्षीगण ने अपने बयानों में नहीं किया है,

अभियुक्त हंसराज दिनांक 03.11.2025 तथा अभियुक्त विनोद दिनांक 11.08.2025 से अभिरक्षा में हैं, महत्वपूर्ण गवाहान के बयान हो चुके हैं, शेष विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी–अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक तथा विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों की बहस के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

वर्तमान मामले में यह आरोप है कि दोनों अभियुक्तगण द्वारा अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर आहतगण के साथ मारपीट की, जिससे आहत रामस्वरूप का दाहिना पैर कारित चोट के कारण काटना पड़ा। आहतगण के बयानों में दोनों प्रार्थी–अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई विशिष्ट चोट पहुंचाने का आरोप नहीं लगाया गया है, कोई पूर्ववर्ती आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। पूर्व में प्रार्थी–अभियुक्त का प्रथम जमानत आवेदन वापिस लिये जाने तथा द्वितीय जमानत आवेदन आहत सुमित्रा व रामस्वरूप के बयान लेखबद्ध होने के पश्चात् नवीन जमानत आवेदन पेश करने की स्वतंत्रता के साथ वापिस लिये जाने के आधार पर निस्तारित किया गया था।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों एवं प्रार्थी–अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी–अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त **1. हंसराज पुत्र महेन्द्र सिंह तथा 2. विनोद कुमार पुत्र महेन्द्र सिंह** की ओर से प्रस्तुत यह तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत

तिथियों पर एवं जब भी उन्हें बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु प्रत्येक द्वारा एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र तथा पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावें तथा उनकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो हस्तगत प्रकरण में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(UMA SHANKER VYAS),J

12/DINESH KUMAWAT